

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 316 / दो-06-113 / 19

शिवपुरी, दिनांक:-23 / 07 / 21

श्री विनय प्रजापति, प्रस्तुतकार, न्याया. प्रथम व्य.न्या.वर्ग-1 के न्या. के अति.न्या.वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी को म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के झा.क्र.एफ. 4 / 7 / 2003 / नियम / चार, दिनांक 15.09.03 के अनुक्रम में दिनांक 22.07.21 से दिनांक 28.07.21 तक कुल 07 दिवस का पितृत्व अवकाश, जो उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखा से द्विगुणित मात्रा में विकलनीय होगा, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

पितृत्व अवकाश स्वीकृति पश्चात् अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में 12 स्वत्व शेष है।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक: 2328 / दो-06-113 / 19

शिवपुरी, दिनांक:-24 / 07 / 21

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

- 1- न्याया. प्रथम व्य.न्या.वर्ग-1 के न्या. के अति.न्या. वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी।
- 2- श्री विनय प्रजापति, प्रस्तुतकार, न्याया. प्रथम व्य.न्या.वर्ग-1 के न्या. के अति.न्या. वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी।
- 3- लेखापाल, लेखा अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓ शिवपुरी, म.प्र.।